



भा. कृ. अनु. प. – केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान

ICAR - Central Sheep and Wool Research Institute

Avikanagar, Malpura, Rajasthan - 304501

Tel. Nos. +91-1437-220162 / 220 164 FAX: +91-1437-220163

Email: director.cswri@icar.gov.in, cao.cswri@icar.gov.in Web site: www.cswri.res.in



फा.सं. 12(26)R/95/खण्ड-4/ 533

दिनांक : 04.07.2022

परिपत्र

विषय: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में सबसे योग्य / सबसे अधिक पात्रता रखने वाले आवेदनों / मामलों को चिन्हित करने के लिए आवेदकों / आवेदनों की सापेक्ष योग्यता / पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए 100 अंकों का पैमाना अपनाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषय पर कहा जाता है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य, अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़कर, सेवाकाल में मरने वाले या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है। यह संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने और आपात स्थिति से उबरने में मदद करने के लिए है। योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मौजूदा निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा / संशोधन / सरलीकरण किया गया है ताकि अंतिम रूप से प्राप्त प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल और एक समान हो।

अनुकंपा नियुक्ति योजना की प्रभावशीलता इसकी पारदर्शिता पर आधारित है। पारदर्शिता वह पहलू है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए सीधी भर्ती रिक्तियों के 5% की निर्धारित सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त सभी आवेदकों के दरिद्रता गरीबी का परिमाण (degree of indigence) का आकलन करने के लिए संबंधित परिवार की वित्तीय स्थिति का एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन उसकी संपत्ति, देनदारियों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों जैसे; परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या, परिवार का आकार, बच्चों की उम्र, परिवार की आवश्यक जरूरतें, आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने और अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, DOP&T के कार्यालय जापनों में इंगित विभिन्न विशेषताओं (जैसे कि; पारिवारिक पेंशन, टर्मिनल लाभ, आश्रितों की संख्या आदि विभिन्न पहलुओं) के आधार पर (जैसा कि; कुछ अन्य मंत्रालयों / विभागों द्वारा अपनाया गया है) आवेदकों को अंक आवंटित करके सापेक्ष योग्यता अंक निर्धारित करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में सबसे योग्य / सबसे अधिक पात्रता रखने वाले आवेदनों / मामलों को आसानी से और पारदर्शी तरीके से चिन्हित / तय किया जा सकता है। तदनुसार, इस संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस संस्थान में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के तुलनात्मक रूप से संतुलित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए 100-बिंदु पैमाने के आधार पर विभिन्न विशेषताओं के लिए अंकों के आवंटन की एक प्रणाली (system of allocation of points to various attributes based on a hundred point-scale) जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, अपनायी जाएगी: -



(page 1 of 3)

10/07/2022

TABLE FOR ALLOCATION OF POINTS TO VARIOUS ATTRIBUTES BASED ON A 100 POINT-SCALE

A. Family Pension/ Monthly amount (Basic excluding DA & Allowances)								
Basic Family pension / Monthly Amount received under NPS (in Rupees) (20 points)								
Sl. No.	Pre-1996 deceased govt. servants		Pre-2006 deceased govt. servants		Pre-2016 deceased govt. servants		Post-2016 deceased govt. servants	
	Pension	points	Pension	points	Pension	points	Pension	points
i	Upto ₹ 500	20	Upto ₹ 1300	20	Upto ₹ 3500	20	Upto ₹ 9000	20
ii	₹ 501 - ₹ 600	18	₹ 1301 - ₹ 1500	18	₹ 3501 - ₹ 4500	18	₹ 9001 - ₹ 11500	18
iii	₹ 601 - ₹ 700	16	₹ 1501 - ₹ 1700	16	₹ 4501 - ₹ 5500	16	₹ 11501 - ₹ 14000	16
iv	₹ 701 - ₹ 800	14	₹ 1701 - ₹ 1900	14	₹ 5501 - ₹ 6500	14	₹ 14001 - ₹ 16500	14
v	₹ 801 - ₹ 900	12	₹ 1901 - ₹ 2100	12	₹ 6501 - ₹ 7500	12	₹ 16501 - ₹ 19000	12
vi	₹ 901 - ₹ 1000	10	₹ 2101 - ₹ 2300	10	₹ 7501 - ₹ 8500	10	₹ 19101 - ₹ 21500	10
vii	Above ₹ 1000	8	₹ 2301 - ₹ 2500	8	₹ 8501 - ₹ 9500	8	₹ 21501 - ₹ 24000	8
viii			Above ₹ 2500	6	Above ₹ 9500	6	₹ 24001 - ₹ 26500	6
ix							₹ 26501 - ₹ 29000	4
xi							₹ 29001 - ₹ 31500	2
xii							Above ₹ 31500	0

B. Terminal benefits i.e Lump Sum amount received by the family on death of Government servant (i.e. DCR Gratuity, GPF / PPF, A/C balance, Leave encashment, CGEGIS, LIC / PLI, etc.) / Lump Sum amount received under NPS, etc. (10 points)					
Sl. No.	Pre-1996 deceased govt. servants	Pre-2006 deceased govt. servants	Pre-2016 deceased govt. servants	Post-2016 deceased govt. servants	
	Terminal benefits	Terminal benefits	Terminal benefits	Terminal benefits	Points
i	Upto Rs. 10,000	Upto Rs. 1,00,000	Upto Rs. 400,000	Upto Rs. 10,00,000	10
ii	10,001-20,000	1,00,001-1,20,2000	4,00,001-475,000	10,00,001-11,87,500	9
iii	20,001-40,000	1,20,001-1,40,000	4,75,001-5,50,000	11,87,501-13,75,000	8
iv	30,001-40,000	1,40,001-1,60,000	5,50,000-6,25,000	13,75,001-15,62,500	7
v	40,001-50,000	1,60,001-1,80,000	6,25,001-700,000	15,62,501-17,50,000	6
vi	50,001-60,000	1,80,001-2,00,000	7,00,001-7,75,000	17,50,001-19,37,500	5
vii	60,001-70,000	2,00,001-2,20,000	7,75,001-8,50,000	19,37,501-21,25,000	4
viii	70,001-80,000	2,20,001-2,40,000	8,50,001-9,25,000	21,25,001-23,12,500	3
ix	80,001-90,000	2,40,001-2,60,000	9,25,001-10,00,000	23,12,501-25,00,000	2
x	90,001-1,00,000	2,60,001-3,00,000	10,00,001-10,75,000	25,00,001-26,87,500	1
xi	Above Rs.100000	Above Rs,3,00,000	Above Rs,10,75,000	Above Rs,26,87,500	Nil

(page 2 of 3)

[Signature]
04/07/2022



C. Monthly income of earning members and income from property. (This does not include the monthly family pension/pension due to the death/MBO/missing of Government servant, but any other pensions, income of all the family members (including earning members living separately) should be accounted) (5 points)

i	No income	5
ii	Upto Rs. 1,05,000	4
iii	1,05,001-1,35,000	3
iv	1,35,001-1,65,000	2
v	1,65,001-1,95,000	1
vi	Above Rs. 1,95,000	Nil

D. Movable/Immovable Property (Latest Market Value in Rs.) (10 points)

i	No income	10
ii	Upto Rs. 5,00,000	8
iii	5,00,001 – 10,00,000	6
iv	10,00,001-15,00,000	4
v	15,00,001-20,00,000	2
vi	Above Rs. 20,00,000	Nil

E. Number of dependents (15 points)

		Point
i	3 and above	15
ii	2	10
iii	1	5

F. Number of Minor Children's (15 points)

		Point
i	3 and above	15
ii	2	10
iii	1	5
iv	None	0

G. Number of unmarried daughters (15 points)

		Point
i	3 and above	15
ii	2	10
iii	1	5
iv	None	0

H. Left over service (10 points)

		Point
i	0 – 5 years	2
ii	Over 5 & upto 10 years	4
iii	Over 10 & upto 15 years	6
iv	Over 15 & upto 20 years	8
v	Over 20 years	10

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोधों पर विचार करने के लिए इस संस्थान द्वारा इससे पहले अपनाए गए पैमाने / प्रणाली के आधार पर की गई नियुक्तियों को उपरोक्त प्रणाली के अनुसार पुनः विचार के लिए नहीं खोला जाएगा। तथापि, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों में से जो भी वर्तमान में लंबित है या / और भविष्य में प्राप्त होंगे उन सभी आवेदनों का मूल्यांकन इस कार्यालय जापन द्वारा अपनायी जा रही प्रणाली / पैमाने के अनुसार किया जाएगा।

यह परिपत्र निदेशक, सी. एस. डब्ल्यू. आर. आई. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(Signature)
04/07/2022

(आई. बी. कुमार)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. संस्थान वेबसाईट व नोटिस बोर्ड के माध्यम से सभी संबंधित को सूचनार्थ।

(page 3 of 3)